न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 81/2016 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1. कालीबाई पत्नि सतवीर उर्फ कालाराम उम्र करीब 27 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुजरीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल निवासी ग्राम सौतका उप तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज0

—— अपीलान्ट

(बनाम)

1. शीला पुत्री रामशरण पत्नि सोमवीर जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुजरीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर हाल निवासी ग्राम पातूहेडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा,
2. नत्थी बेवा रामशरण(मृतक, वारिसान पहले से रिकार्ड पर हैं)
3. सुमन पुत्री रामशरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुजरीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटकासिम जरिये शाखा प्रबंधक कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोटकासिम दिनांक–02.07.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अशोक कुमार चांगल

2. वकील रेस्पो0 :– अनुपस्थित

निर्णय दिनांक– 11.08.21

1. यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 172/16 अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2016 के खिलाफ धारा 223 आर0 टी0 एक्ट के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया शीला ने नत्थी वगैरा के खिलाफ विचारण न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी हाल खसरा नम्बरान 456/574/0.83, 456/2.44 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.27 हेक्टेयर मुताबिक खाता संख्या 210, आराजी हाल खसरा नम्बरान 237/0.46, 248/0.33 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 हेक्टेयर मुताबिक खाता सं0 212, आराजी हाल खसरा नम्बर 457/575/0.71 हेक्टेयर मुताबिक खाता संख्या 213 वाके ग्राम गुजरीवास तहसील कोटकासिम वादीया की विरासतन आराजीयात है। रामशरण पुत्र जयमल वादीया का पिता व प्रतिवादिया संख्या 01 का पति तथा प्रतिवादिया संख्या 02 का पिता था, जो दिनांक 12.12.2015 को फौत हो चुका है। वादीया और प्रतिवादिया संख्या 01 व 02 रामशरण के विधिक वारिसान है। सत्यवीर पुत्र रामशरण लावल्द फौत हो चुका है। वादिया का मृतक रामशरण के हिस्से की आराजी में से 1/3 भाग निहित है। परन्तु प्रतिवादिया संख्या 01 व 02 ने मिल्लत करके रामशरण के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का विरासत का इन्तकाल अपने नाम करा लिया। जबकि वादिया का भी 1/3 हिस्सा निहित है। अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे। दौराने विचारण वाद पक्षकारान ने विचारण न्यायालय में राजीनामा पेश किया, जिसके आधार पर निर्णय दिनांक 02.07.2016 द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया गया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2016 से व्यथित होकर अपीलांटा ने यह अपील धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांटा ने सर्वप्रथम अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 पर तर्क दिये कि अपीलांटा का पति सत्यवीर, जो कि रामशरण का पुत्र था, लावल्द फौत नहीं हुआ था। अपीलांटा सत्यवीर की जायज वारिस है, परन्तु वादीया ने अपीलांटा को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया। जबकि अपीलांटा हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। विद्वान वकील अपीलांटा ने गुणावगुण पर तर्क दिये कि अपीलांटा का पति सत्यवीर मृतक रामशरण का पुत्र था। सत्यवीर लावल्द फौत नहीं हुआ था। अपीलांटा उसकी पत्नि एवं जायज वारिस है। अपीलांटा का पति सत्यवीर उर्फ कालाराम भी फौत हो चुका है। अपीलांटा सत्यवीर उर्फ कालाराम की पत्नि होने के कारण अपने ससुर मृतक रामशरण की विरासत में अपना हक रखती है। परन्तु वादीया रेस्पो0 ने विचारण न्यायालय में अपीलांटा के पति सत्यवीर उर्फ कालाराम को लावल्द फौत बताकर एवं प्रतिवादिया संख्या 01 व 02 से साजबाज होकर राजीनामा प्रस्तुत करा लिया और वाद पत्र डिक्री करा लिया। जबकि अपीलांटा का विरासतन हिस्सा है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 01 एवं 03 ने दिनांक 15.04.2021 को अदालत हाजा में उपस्थित होकर No Objection स्वरूप आदेशिका दिनांक 15.04.2021 पर अपने हस्ताक्षर किये और निवेदन किया कि अपील का निर्णय पत्रावली देख कर दिया जावे, कोई आपत्ति नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांटा की बहस तर्को पर गौर किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 पर गौर किया। चूंकि अपीलांटा ने अपने आपको मृतक सत्यवीर उर्फ कालाराम की पत्नि बताया है। वादीया ने अपने वाद पत्र में उक्त सत्यवीर को रामशरण का पुत्र होना एवं लावल्द फौत होना बताया है तो दूसरी ओर अपीलांटा अपने आपको सत्यवीर की पत्नि बताकर जायज वारिस होना अभिकथित कर रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांटा प्रथम दृष्टतया हितवद्ध पक्षकार होना जाहिर होती है। लिहाजा अपीलांटा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाती है।

6. दौराने विचारण अपील दिनांक 04.12.2018 को अपीलांटा की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0 पी0 सी0 इस आशय का पेश किया गया कि रेस्पो0 सं0 2 श्रीमती नत्थी बेवा रामशरण का स्वर्गवास दिनांक 11.10.2018 को हो चुका है, जिसके समस्त वारिसान अपील में पूर्व से ही अपीलांटा तथा रेस्पो0 सं0 01 व 03 के रूप में पक्षकार दर्ज है। इसलिये रेस्पो0 सं0 02 नत्थी के नाम से साथ लाल स्याही से मृतक शब्द अंकित किया जावे। उक्त प्रा0 पत्र अदालत हाजा द्वारा दिनांक 17.01.2019 को बहस सुनने के उपरान्त स्वीकार किया गया था तथा रेस्पो0 संख्या 02 नत्थी के नाम के साथ लाल स्याही से मृतक शब्द अंकित किये जाने के आदेश दिये गये थे।

7. इसी प्रकार दौराने विचारण अपील दिनांक 17.10.2019 को अपीलांटा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 इस आशय का पेश किया गया था कि विवादित भूमि में अपीलांटा का विरासतन हिस्सा निहित है। अपील के मद संख्या 08 में अपीलांटा ने अपना 1/4 हिस्सा अभिकथित किया है, परन्तु रेस्पो0 सं0 02 नत्थी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसका हिस्सा भी अपीलांटा एवं रेस्पो0 संख्या 01 व 03 में निहित हो गया है। इसलिये अब मृतक रामशरण के जायज वारिस अपीलांटा एवं रेस्पो0 सं0 01 व 03 हैं। इसी अनुरूप हिस्सा तय होना चाहिये अर्थात अपीलांटा का 1/3, रेस्पो0 सं0 01 का 1/3 तथा रेस्पो0 सं0 03 का 1/3 हिस्सा विरासत में बनता है। इसी हिस्से के अनुसार अनुतोष दिये जाने बाबत अपील में संशोधन किया जावे। दिनांक 12.02.2020 को प्रा0 पत्र पर बहस सुनने के उपरान्त उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार करें संशोधित अपील मीमो प्राप्त किया गया।

8. इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया। अपीलांटा का मुख्य कथन है कि रामशरण का पुत्र सत्यवीर उर्फ कालाराम लावल्द फौत नहीं हुआ था। अपीलांटा उसकी विधवा है और जायज वारिस है। अपीलांटा ने अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के साथ स्वयं का शपथ पत्र, शपथ पत्र श्रीलाल पुत्र देवला गूर्जर, शपथ पत्र निहालाराम पुत्र अन्धूराम गूर्जर, शपथ पत्र हरेत पुत्र सुन्दरली गूर्जर, शपथ पत्र माड़ाराम पुत्र हरनाम गूर्जर, शपथ पत्र बलराम पुत्र बहराम गूर्जर, विवाह निमन्त्रण कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड पेश किये, जिनका अवलोकन किया गया। शपथ पत्रों में बयान किये गये हैं कि हरेत गूर्जर की 3 पुत्रियों क्रमशः धनपति, काली बाई, धौली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलव

बाई का विवाह क्रमशः रोहताश पुत्र हरनाम गूर्जर निवासी ग्राम कडूकी, विजय मंदिर रोड, अलवर के साथ व कालाराम उर्फ सत्यवीर पुत्र रामशरण गूर्जर निवासी गुजरीवास तहसील कोटकासिम तथा माडाराम पुत्र हरनाम गूर्जर निवासी ग्राम कडूकी, विजय मंदिर रोड, अलवर के साथ दिनांक 02.05.2004 को हुआ था। काली बाई के पति सत्यवीर उर्फ कालाराम पुत्र रामशरण का देहान्त दिनांक 19.03.2012 हो गया था। काली बाई से ससुर रामशरण का भी देहान्त दिनांक 12.12.2015 को हो गया है। विवाह निमन्त्रण कार्ड के अनुसार अपीलांटा काली बाई का विवाह कालाराम पुत्र रामशरण के साथ दिनांक 02 मई, 2004 को सम्पन्न होना पाया जाता है। राशन कार्ड वर्ष 2002 अनुसार कालीबाई हरेत गूर्जर की पुत्री होना सिद्ध होती है। आधार कार्ड में अपीलांटा कालीबाई कालाराम की पत्नि दर्ज है।

9. उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से सिद्ध है कि शपथ पत्रों में अपीलांटा काली बाई का विवाह सत्यवीर उर्फ कालाराम पुत्र राम शरण के साथ सम्पन्न होना बताया है, जब कि विवाह निमंत्रण कार्ड एवं आधार कार्ड में काली बाई के पति का नाम कालाराम दर्ज है। निमंत्रण कार्ड व आधार कार्ड में सत्यवीर उर्फ कालाराम नाम का अंकन नहीं है। वादीया ने तहत अदालत में जो सजरा पेश किया है, उसमें रामशरण के पुत्र का नाम सत्यवीर अंकित किया है। उक्त सजरा में भी सत्यवीर उर्फ कालाराम नाम का अंकन नहीं है। इन तथ्यों के विवेचन के उपरान्त हमारे समक्ष यह प्रश्न उभर कर आया है कि क्या सत्यवीर और कालाराम नाम का एक ही व्यक्ति है अथवा नहीं। इस संबंध में जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करते हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते है।

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2016 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर इस तथ्य की जांच् कराये कि क्या सत्यवीर व कालाराम नाम का व्यक्ति एक ही था अर्थात ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के थे? तत्पश्चात प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करे। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई दिनांक 13.9.21 को तहत अदालत में उपस्थित हो।

11. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर